SCHEDULE-A

बिहार सरकार
प्राचार्य कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज

मेस हेतू निविदा की आवश्यक शर्ते

1. निविदादाता की भारत सरकार का नागरिक होना अनिर्वाय है।
2. मेस जिस आवस्था में है उसी अवस्था में दिया जाएगा।
3. मेस का आवन्टन अगले छः महिनो के लिए होगा। किन्तु पदाधिकारियों/छात्रों/कर्मचारियो के सेवा में कभी शिकायत या कार्य कलाप असंतोषजनक होने पर मेस किसी भी वक्त एक माह की सूचना पर खाली कराया जा सकता है।
4. मेस संचालन में किसी भी स्थिति में हीटर का प्रयोग वार्जित रहेगा।
5. मेस में मादक पदार्थ धुपान आदि समाग्री की विक्री एवं सेवन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
6. मेस में कार्यरत कर्मियों को ड्रेस कोड का पालन करना अनिर्वाय है।
7. मेस के अदर या बाहर कोई अन्य व्यापारिक गतिविधिया नही करनी होगी ।
8. मेस में कोई अन्य गतिविधिया (बर्थडे पर्टी/अन्य पार्टी) बिना कॉलेज प्रशासन की अनुमती के करना वर्जित होगा।
9. मेस आवंटन के पश्चात् कैन्टीन का पंजिकरण FSSAI के अधीन एक माह के अन्दर आवन्टन तिथि से कराना अनिवार्य होगा तथा इसकी लेमिनेटेड छाया प्रति मेस में प्रदर्शित करना होगा।
10. मेस आवन्टन होने पर सभी खादय पदार्थो का मूल्य– तालिका कैन्टीन में प्रदर्शित करना होगा।
11. खादय सामाग्री में सरसों/रिफाईन आदि तेल का उपयोग अनिवार्य होगा।
12. संस्थान प्रशासन द्वारा समय–समय पर तेल का नमूना संग्रह कर उसे जाँच हेतु खादय परिक्षण प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। मिलावट पकड़े जाने पर कैन्टीन का आवन्टन मद रद कर दिया जाएगा, तथा विधि सम्मत कार्यवाई होगी ।
13. तकनीकी निविदा सही पाये जाने पर उसकी ही वित्तीय निविदा को नियमानूकुल खोली जायेगी।
14. मेस का मासिक किराया, नियमानूकुल निर्धारित किराया देय होगा कैन्टीन के किराया में प्रतिवर्ष अधिकतम पॉच प्रतिशत की बढोतरी की जा सकती है जो निविदादाता को मान्य होगा।
15. निविदा कम्प्यूर से टंकित होना चाहिए किसी भी परिस्थति में हस्तलिखीत निविदा स्वीकार नही किया जाएगा।
16. मेस आवन्टन होने पर कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी आवश्यक शर्तो के साथ प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष दी गयी शपथ पत्र की मूल्य प्रति जमा करने के उपरान्त आवन्टन आदेश दिया जाएगा। आवंटन आदेश प्रति के उपरान्त बीस दिनो के अन्दर मेस चालू करना होगा अन्यथा आवंटन रद्व कर दिया जाएगा।
17. निविदा खोलने की तिथि दिनांक 05.04.2024 के आपराह्न 02:00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में छात्रावास समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधी प्राधिकार पत्र एवं व्यक्तिगत फोटो पहचान पत्र के साथ उपस्थित रह सकते है।
18. निविदा (खादय पदार्थो) की सूची एंवम अन्य शर्ते अधोहास्ताक्षरी के कार्यालय में पूर्वाह्न 11बजे से अपराह्न 4 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता को लेटर पैड द्वारा मार्ग के आधार पर हस्ताक्षर उपरान्त की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।
19. मेस पर होने वाले विधुत खपत का भूगतान निविदादाता को शुल्क के अतिरिक्त करना होगा।
20. निविदा की स्वीकृति के लिए छात्रावास समिति का निर्णय अंतिम होगा।प्राचार्यको बिना कारण बताय निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।किसी प्रकार के विवाद का निपटारा जिला स्थित न्यायालय में होगा।
21. मेस में आपूर्ति हेतु खादय पदार्थो की गुणवता स्वास्थ्य वर्धक एंवम हाईजीनिक होना अनीवार्य है। अगर इसमे कमी पायी जाएगी तो अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा की एक सप्ताह की अल्प सूचना के अधार पर आंवाटित फर्म/ऐजेन्सी को कैन्टीन का आवंटन रद्व कर दिया जाएगा।
22. निविदा को पद्धति के माध्यम से देय होगा। निविदादाता को सभी आवश्यक कागजात तकनीकी निविदा में मोहरबंद लिफाफा में देय होगा तथा कैन्टीन का किराया एंव खादय पदार्थो की दर वित्तीय निविदा मोहरबंद लिफाफा में देना होगा तथा
23. निविदा अनुमोदित निविदादाताओ के अनुमोदनोपरान्त फुड लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।
24. मेस में आपुर्ति की जाने वाले भोजन नास्ता आदि का दर समिति द्वारा निर्धारित/अनुमोदित दर पर करना होगा।
25. मेस का नास्ता /भोजन के मीनू का निर्धारण साप्ताहिक आधारित एवं छात्र सह समिति द्वारा निर्धारित होगा।
26. संस्थान के कर्मचारी/पदाधिकारी को रियायत दर पर भोजन /नास्ता देना होगा।

14/3 14/3 14/3/24 Pooja Kumari 14/03/24
14/03/24 14/3/2024

तकनीकी निविदा के लिए आवश्यक कागजातो की सूची

फर्म/ एजेन्सी का रजिट्रेशन

GST निबंधन प्रमाणपत्र

सर्विस टैक्स भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र

श्रम विभाग द्वारा प्रद्त लाइसेंस।

अद्यतन आयकर विवरणी।

पैन कार्ड की छायाप्रति।

मेस चलाने संबंधी कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें किसी प्रतिष्ठित संस्थान एवं पोलिटेकनिक/अभियंत्रण महाविद्यालय का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

FSSAI द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र पजीकंरण की छायापति पूर्व कार्य से संबंधित।

अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

वरीय आरक्षी अधीक्षक/नगर आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत वैद्य स्वच्छ प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

मेस आवंटन के पश्चात अग्रधन राशि के रूप में 10 000(दस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट या प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के नाम से देय होगा।

निविदा से सलग्न किए गए पृष्ट हस्ताक्षरित एंव पृष्ठांकित होना अनिवार्य है।

(1) मेस की निविदा में दिए सभी शर्त मुझे मान्य है।

(2) मेरे फर्म को कभी भी काली सूची में दर्ज नही किया गया है।

(3) मेरे फर्म के नाम कभी भी किसी भी अपराधिक मामला में दर्ज नही है तथा न्यायालय द्वारा दंडित नही किया गया है।

(4) मेरे फर्म को खाद्य निरीक्षण दल द्वारा पूर्व में दडित नही किया गया है।

(5) कॉलेज प्रशासन द्वारा समय–समय पर निधारित मापदंड नियम एंव शर्त मुझे मान्य होगा।

(6) मेरे फर्म द्वारा(Commercial L.P.G.) पर खाद्य पदार्थ बनाया जाएगा।

वित्तीय निविदा के अनिवार्य आवश्यक शर्त

वित्तीय निविदा में खाद्य पदार्थ की सूची सह मासिक शुल्क जो न्युन्तम रूपये 2,500 (दो हजार पाँच सौ)मात्र होगा ।

वित्तीय निविदा मे दर का उल्लेख एंव अक्षर एंव अंक दोनो में लिखा होना चाहिए।

मेस का आवन्टन सभी तकनीकी शर्तो को पुरा करने वाले अधिकतम खाद्य पदार्थौं का न्यून्तम दर दाता को आवटित किया जाएगा।

सभी खाद्य सामग्रीयों का दर अंकित नही होने पर वितीय निविदा में विचार नही किया जएगा।

मेस संचालक को भेज्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर विना किसी पूर्व सूचना के मेस की निविदा रद्द की जा सकती है।

मेस में किसी प्रकार की क्षति (टुट–फुट) की मरम्मती स्वयं मेस संचालक को करनी होगी।

मेस संचालक को प्रति छात्र/छात्रा प्रतिदिन रूप्ये 05.00 (पॉच रूप्ये) के दर से सफाई शुल्क का वहन करना होगा।

मेस संचालक को विद्युत एवं अन्य व्यय के रूप में रू0 2000.00 (रू0 दो हजार) मात्र प्रतिमाह भुगतान करना होगा तथा सरकारी नियमानुसार परिवर्तन/संशेधन सम्भव है।

निविदादाता को अपने समान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।

मेस संचालक मेस का चार्ज स्वयं छात्रों से प्राप्त करेगें।

14/3/24

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक,

गोपालगंज।

Nagesh

14/3/24

14/3/24

14/3/24

14/03/24